

प्रेषक,

शिव शंकर सिंह  
विशेष सचिव,  
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

निदेशक,  
राज्य नगरीय विकास अभिकरण,  
उ0प्र0, लखनऊ।

नगरीय रोजगार एवं गरीबी  
उन्मूलन कार्यक्रम अनुभाग।

लखनऊ : दिनांक 05 अक्टूबर, 2012

विषय : चालू वित्तीय वर्ष 2012-13 में आई0एच0एस0डी0पी0 योजनान्तर्गत अनुदान सं0-37 से द्वितीय/अंतिम किश्त (केन्द्रांश+राज्यांश) की वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

भारत सरकार के पत्रांक-59(6)/पीएफ-1/2011-1152, दिनांक 20.12.2011 द्वारा जारी केन्द्रांश की द्वितीय किश्त की धनराशि के आधार पर उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-1636/76/एक/आई0एच0एस0डी0पी0/2012-13, दिनांक 24 सितम्बर, 2012 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि आई0एच0एस0डी0पी0 योजनान्तर्गत सामान्य वर्ग के लाभार्थियों हेतु जनपद-कानपुर की निकाय-सिकन्दरा की 204 आवासों के सापेक्ष 16 आवासों की 01 परियोजना के लिये चालू वित्तीय वर्ष 2012-13 में अनुदान संख्या-37 से निम्नलिखित तालिका के स्तम्भ-6 में अंकित केन्द्रांश+राज्यांश की द्वितीय/अंतिम किश्त की कुल धनराशि रु0 20,76,000.00 (रु0 बीस लाख छिह्न्तर हजार मात्र) की, श्री राज्यपाल महोदय निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

प्रश्नगत परियोजना हेतु प्रथम किश्त (केन्द्रांश+राज्यांश) की आंशिक धनराशि शासनादेश संख्या-2198/69-1-09-32(बजट)/2009, दिनांक 10 जून, 2009 एवं अवशेष धनराशि शासनादेश संख्या-1300/69-1-11-32(बजट)/09, दिनांक 07 सितम्बर, 2012 द्वारा जारी की जा चुकी है।

(धनराशि लाख रु0 में)

क्रमांक	जनपद/परियोजना	कुल आवासों की संख्या	कुल परियोजना लागत।	सामान्य वर्ग के लाभार्थियों के आवासों की संख्या।	सामान्य वर्ग के लाभार्थियों हेतु द्वितीय/अंतिम किश्त (केन्द्रांश+राज्यांश) की स्वीकृति हेतु प्रस्तावित धनराशि, सेन्टेज चार्जेज, लेबर सेस व अवस्था सुविधाओं सहित। (केन्द्रांश+राज्यांश)
1	2	3	4	5	6
1	कानपुर/सिकन्दरा	204	528.05	16	20.76
	योग				20.76

- उक्त धनराशि नगरीय रोजगार एवं गरीबी उपशमन विभाग, भारत सरकार के दिशा-निर्देशानुसार तथा शासन/प्रायोजना रचना मूल्यांकन प्रभाग/राज्य स्तरीय समन्वय समिति द्वारा निर्धारित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन उपर्युक्तानुसार निहित मद में व्यय की जायेगी।
- उक्त धनराशि का उपयोग उसी परियोजना/प्रयोजन के लिये किया जायेगा, जिसके लिये वह स्वीकृत किया जा रहा है। किसी प्रकार का व्यावर्तन अनुमन्य न होगा तथा भारत सरकार द्वारा निर्धारित समय सीमा में परियोजनाएं पूर्ण गुणवत्ता व पारदर्शिता के साथ पूर्ण करायी जायेगी एवं किसी प्रकार का कास्ट एस्केलेशन अनुमन्य नहीं होगा।
- उक्त धनराशि का कोषांशार आहरण के पश्चात् राज्य नगरीय विकास अभिकरण व सम्बन्धित डूडा द्वारा परियोजना सम्बन्धी सभी परिवादों का सक्षम स्तरीय निराकरण कराकर गुणवत्ता आदि बिन्दुओं सहित यथापेक्षित योजना निर्देशों के अनुपालन पर आश्वस्त होकर, तत्काल सम्बन्धित डूडा इकाई/उनके माध्यम से निर्माण इकाई को उपलब्ध करा दी जायेगी, जो अपने स्तर पर भी उक्तानुसार सभी पहलुओं पर आश्वस्त हो लेंगे।
- उक्त धनराशि का आहरण सचिव/निदेशक, राज्य नगरीय विकास अभिकरण, उ0प्र0, लखनऊ द्वारा प्रमुख सचिव/सचिव अथवा विशेष सचिव, नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम विभाग के प्रतिहस्ताक्षरोपरान्त किया जायेगा।
- प्रत्येक आहरण की सूचना महालेखाकार (राजकोष) महालेखाकार (लेखा), उ0प्र0, इलाहाबाद को आदेश की प्रति के साथ कोषांशार का नाम, बाऊचर संख्या, तिथि तथा लेखा शीर्षक की, सूचना एक वर्ष के भीतर अवश्य उपलब्ध करा दी जाय।

कमशः.....2

6. स्वीकृत धनराशि बैंक / डाकघर / डिपोजिट खाते व पी०एल०ए० में नहीं रखी जायेगी। स्वीकृत की जा रही धनराशि का कोषागार से आहरण भारत सरकार द्वारा निर्धारित शर्तों के अनुसार किया जायेगा तथा इसमें भारत सरकार द्वारा निर्धारित शर्तों का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जाय। प्रश्नगत आहरण/भुगतान के पूर्व यथानियम केन्द्र व राज्य के करों की स्त्रोत पर कटौती सम्बन्धी अनिवार्य विधिक प्रातिबन्धों के अनुपालन का ध्यान रखा जायेगा। सूडा द्वारा वित्त (आय-व्यय) अनु०-२ के शासनादेश संख्या-बी-२-२९८/दस- २०१२-२४४/२०११, दिनांक २०. ०३.२०१२ के प्रस्तर-३/४ का समुचित अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
7. इस धनराशि का उपयोग चालू वित्तीय वर्ष २०१२-१३ में यथा कलेन्डर अवश्य करा लिया जाय और इसके बाद उपयोगिता प्रमाण-पत्र शासन व भारत सरकार को समय से उपलब्ध कराया जाय। निर्धारित अवधि के बाद अनुपयोगित धनराशि यदि कोई हो तो एकमुश्त शासन को वापस करनी होगी।
8. निदेशक / सचिव, राज्य नगरीय विकास अभिकरण, उ०प्र०, लखनऊ आहरण की वर्षान्त पर अपने लेखों का मिलान महालेखाकार के कार्यालय के लेखे से अवश्य करायें।
9. उक्त स्वीकृत धनराशि आवंटित परिव्यय के अन्तर्गत होने एवं प्रश्नगत परियोजना की द्वैरावृत्ति/पुनरावृत्ति न हो, यह सूडा द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।
10. कार्यदायी संस्था को धनराशि अवमुक्त करने से पूर्व एस०एल०एन०ए० (सूडा), यह सुनिश्चित कर लेंगे कि स्वीकृत परियोजना में राज्यांश आवासीय इकाई के वित्त पोषण सम्बन्धी निर्गत शासनादेश संख्या-१८१३/६९-१-०७-१४(१०२)/०७, दिनांक ०६ अक्टूबर, २००७ एवं शासनादेश संख्या-१४४७/६९-१-१०-१४(१०२)/०७, दिनांक २२ जून, २०१० के अनुरूप है एवं आगणन सहित अन्य किसी कारण से अन्तर धनराशि यदि कोई हो तो उसे राज कोष में जमा कराना सुनिश्चित करेंगे।
  
2. उपरोक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष २०१२-१३ में अनुदान संख्या-३७ के अंतर्गत लेखा शीर्षक “४२१७-शहरी विकास एवं पूँजीगत परिव्यय-आयोजनागत-६०-अन्य शहरी विकास योजनायें-०५१-निर्माण-०३-इन्ट्रीग्रेटेड हाउसिंग एण्ड स्लम डेवलपमेन्ट प्रोग्राम (के.८०/रा.२०-के.+रा.)-३५-पूँजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदान” के नामे डाला जायेगा।
  
3. यह आदेश वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी शासनादेशों के संदर्भ में जारी किये जा रहे हैं।

मवदीय,

शिव शंकर सिंह  
विशेष सचिव।

संख्या- [७२७] (१) / ६९-१-१२-३२(बजट) / २००९, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम, उ०प्र०, २० सरोजनी नायडू मार्ग, इलाहाबाद।
2. निदेशक, स्थानीय निधि, कमला नेहरू मार्ग, इलाहाबाद।
3. जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला नगरीय विकास अभिकरण, कानपुर।
4. वित्त संसाधन (केन्द्रीय सहायता) अनुभाग-१ को केन्द्रीय प्राप्त होने विषयक भारत सरकार के पत्रांक-५९(६)/पी०एफ०-१/२०११-११५२, दिनांक २०.१२.२०११ के सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही हेतु।
5. वित्त (आय-व्यय) अनु०-२/वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-८।
6. नियोजन अनु०-४/नगर विकास (कम्प्यूटर कक्ष) को कम्प्यूटर में अपलोड करने हेतु।
7. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
8. सहायक वेब मास्टर/संयुक्त निदेशक, सूडा को विभागीय वेब साइट पर अपलोड कराने हेतु।
9. वित्त नियंत्रक, राज्य नगरीय विकास अभिकरण, उ०प्र०, लखनऊ।
10. गार्ड फाइल / कम्प्यूटर सहायक / बजट समन्वयक।

आज्ञा से,

(आर०पी० सिंह)  
उपसचिव।